समक्ष प्रमोद कोहली माननीय न्यायमूर्ति

सुनील *कुमार - याचिकाकर्ता*

बनाम

राज्य ओए हरियाणा - *प्रतिवादी*

2010 की सीडब्ल्यूपी संख्या 7507

3 मई, 2010

भारत का संविधान, 1950—कला, 226—किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000—धारा 7-ए- किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) नियम, 2007- नियम 12- याचिकाकर्ता को धारा 376 और 366 आई पीसी के तहत दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई- याचिकाकर्ता ने अपराध के समय किशोर होने का दावा करते हुए सरकार को निर्देश देने की मांग की कि जांच करके उसके किशोर होने का निर्धारण करें - राज्य या उसकी किसी भी एजेंसी के पास किशोर की उम्र निर्धारित करने का कोई अधिकार या क्षेत्राधिकार नहीं है - केवल उच्च सहित आपराधिक न्यायालय किसी भी स्तर पर मामले से निपटने वाली अदालत या 2000 अधिनियम की धारा 4 के तहत गठित बोर्ड या आरएल के तहत गठित समिति। 200 में से 19 7 नियम जो किशोर होने का दावा करने वाले आरोपी की उम्र निर्धारित करने में सक्षम हैं - याचिकाकर्ता को सक्षम मंच से संपर्क करने की स्वतंत्रता देते हुए याचिका खारिज कर दी गई।

अभिनिर्णित कि धारा 7-ए स्पष्ट रूप से जांच कराने का प्रावधान करती है, नियम 12(3) के तहत स्थिति भी ऐसी ही है, जो न्यायालय या बोर्ड को मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र, स्कूल से जन्म प्रमाण पत्र और ऐसे अन्य साक्ष्य प्राप्त करके साक्ष्य मांगकर जांच करने का कर्तव्य देती है। धारा 7-ए मामले से निपटने वाली अदालत को सबूत लेकर जांच करने का भी स्पष्ट अधिकार देती है। इसी प्रकार, नियम 12 उपनियम 1 भी नियम 19 में निर्दिष्ट न्यायालय या बोर्ड या समिति को सबूत लेकर कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर की उम्र निर्धारित करने का अधिकार देता है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत राज्य अपराध के समय किशोर होने का दावा करने वाले आरोपी की उम्र निर्धारित कर सके। इस प्रकार, याचिकाकर्ता द्वारा मांगा गया परमादेश गलत है, राज्य या उसकी किसी एजेंसी के पास किशोर की उम्र निर्धारित करने का कोई अधिकार या क्षेत्राधिकार नहीं है। किसी भी स्तर पर मामले से निपटने वाली आपराधिक अदालत या धारा 4 के तहत गठित बोर्ड या अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के नियम 19 के तहत गठित समिति ही किशोर होने का दावा करने वाले आरोपी की उम्र निर्धारित करने में सक्षम है।

याचिकाकर्ता के वकील ऋषि मल्होत्रा ।

परमोद कोहली, न्यायमूर्ति (मौखिक)

1. याचिकाकर्ता थाना सदर, हिसार में भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 366 और 201 के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 233 दिनांक 17.5.1990 में आरोपी था । उन पर 16.5.1990 को अभियोक्ता के साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया गया था। याचिकाकर्ता को उपरोक्त अपराध के लिए मुकदमे का सामना करने के लिए भेजा गया था और विद्वान अतिरिक्त द्वारा दिनांक 26.2.1992 के सत्र न्यायाधीश-तृतीय, हिसार के फैसले के तहत धारा 376 भारतीय दंड संहिता के तहत 7 साल और धारा 366 भारतीय दंड संहिता के तहत 4 साल के लिए कठोर कारावास के तहत दोषी ठहराया गया था। उच्च न्यायालय के समक्ष दायर 1992 की एक आपराधिक अपील संख्या 102-एसबी असफल रही, जिसे दिनांक 1.7.2005 के निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया। इस न्यायालय के समक्ष आपराधिक अपील के लंबित रहने के दौरान, याचिकाकर्ता ने सीआरएल के रूप में एक आवेदन किया । विविध. 2004 की संख्या 38333 में दलील दी गई कि अपराध के समय वह किशोर था। यह कहा गया है कि उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता की किशोरता के सवाल पर विचार किए बिना अपील का निपटारा कर दिया। उच्च न्यायालय द्वारा उनकी अपील खारिज होने पर, याचिकाकर्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एसएलपी (आपराधिक) संख्या 4448/2005 के रूप में विशेष अनुमति याचिका दायर की। दिनांक 5.9.2005 के आदेश द्वारा आपराधिक अपील भी खारिज कर दी गई। संतुष्ट नहीं होने पर, याचिकाकर्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक समीक्षा याचिका दायर की, जिसके बाद अधिनियम की धारा 7ए और 20 के प्रावधान सामने आए, जिन्हें यहां पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

"7. जब किसी न्यायालय के समक्ष किशोर होने का दावा उठाया जाता है तो पालन की जाने वाली प्रक्रिया - (1) जब भी किसी न्यायालय या न्यायालय के समक्ष किशोर होने का दावा उठाया जाता है तो उसकी राय है कि आरोपी व्यक्ति अपराध की तिथि पर किशोर था अपराध, न्यायालय जांच करेगा, ऐसे साक्ष्य लेगा जो आवश्यक हो (लेकिन हलफनामा नहीं) ताकि ऐसे व्यक्ति की उम्र निर्धारित की जा सके और यह निष्कर्ष दर्ज किया जाएगा कि क्या वह व्यक्ति किशोर है या बच्चा है या नहीं बता रहा है। उम्र जितनी करीब हो सकती है:

बशर्ते कि किशोरता का दावा किसी भी न्यायालय के समक्ष उठाया जा सकता है और इसे मामले के अंतिम निपटान के बाद भी किसी भी स्तर पर मान्यता दी जाएगी, और ऐसा दावा इस अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। भले ही किशोर इस अधिनियम के

प्रारंभ होने की तारीख से पहले ही समाप्त हो गया हो।

(2) यदि न्यायालय उप-धारा (1) के तहत अपराध करने की तिथि पर किसी व्यक्ति को किशोर पाता है, तो वह किशोर को उचित आदेश पारित करने और सजा, यदि कोई हो, पारित करने के लिए बोर्ड को भेज देगा। किसी न्यायालय का कोई प्रभाव नहीं माना जाएगा।

20. लंबित मामलों के संबंध में विशेष प्रावधान - इस अधिनियम में किसी भी बात के बावजूद, किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में लंबित किशोर के संबंध में सभी कार्यवाही उस तारीख को जारी रखी जाएंगी जिस दिन यह अधिनियम उस क्षेत्र में लागू होता है। न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है मानो यह अधिनियम पारित नहीं हुआ है और यदि न्यायालय को पता चलता है कि किशोर ने कोई अपराध किया है, तो वह ऐसे निष्कर्ष को दर्ज करेगा और किशोर के संबंध में कोई सजा पारित करने के बजाय, किशोर को बोर्ड के पास भेज देगा जो इसमें आदेश पारित करेगा। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उस किशोर का सम्मान करें जैसे कि इस अधिनियम के तहत जांच पर वह संतुष्ट हो गया हो कि एक किशोर ने अपराध किया है।"

2. धारा 7ए की उप-धारा (1) अपराध के घटित होने की तिथि पर अभियुक्त की किशोरता निर्धारित करने के लिए जांच का प्रावधान करती है, जब भी न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई प्रश्न उठाया जाता है या न्यायालय की राय है कि अभियुक्त अपराध किये जाने की तिथि पर व्यक्ति किशोर था। उप-धारा 1 का प्रावधान न्यायालय को किसी भी स्तर पर, यहां तक कि मामले के अंतिम निपटान के बाद भी, किशोर होने के तथ्य को पहचानने और अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार अधिनियम के प्रारंभ होने पर या उससे पहले ऐसे दावे का निर्धारण करने का अधिकार देता है, भले ही वह किशोर न रह गया हो। यह अधिनियम केन्द्रीय सरकार में इसके प्रकाशन की तिथि से ही लागू हो गया। राजपत्र अर्थात 1.4.2001 देखें एसओ 177 (ई). अधिनियम की धारा 20 लंबित मामलों पर भी इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करती है। इस प्रकार, धारा 7ए और धारा 20 के प्रावधान को संयुक्त रूप से पढ़ने से , यह आसानी से पता लगाया जा सकता है कि इस अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे, भले ही अपराध का कमीशन इस अधिनियम के संचालन से पहले हुआ हो।

3. यह भी विवाद में नहीं है कि मामले के अंतिम निपटारे के बाद भी आरोपी की किशोरता निर्धारित की जा सकती है। इस प्रकार, सक्षम न्यायालय के पास माननीय शीर्ष न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि को बरकरार रखने के बावजूद याचिकाकर्ता की किशोरता निर्धारित करने का अधिकार क्षेत्र है। इस याचिका में की गई प्रार्थना से ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता सरकार को निर्देश देने की मांग कर रहा है। जांच करके उसकी किशोरता का निर्धारण करना और फिर उस आपराधिक अपराध के लिए उसकी सजा के संबंध में एक उचित आदेश पारित करना जिसके लिए उसे सजा सुनाई गई है और अंततः दोषी ठहराया गया है।

4. याचिकाकर्ता की ओर से तर्क यह है कि उच्च न्यायालय अपने रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए निश्चित रूप से याचिकाकर्ता की किशोरता के प्रश्न का निर्धारण करने के लिए सरकार को एक परमादेश जारी कर सकता

है।

5. याचिकाकर्ता के तर्क की सराहना करने की दृष्टि से अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों की जांच की गई है । धारा 7ए किसी भी न्यायालय के समक्ष किशोर उम्र के मुद्दे को उठाने की अनुमति देती है। इस प्रकार, यह संतुष्ट है कि न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाला उच्च न्यायालय भी शामिल है। इसके अलावा अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के नियम 12 का संदर्भ दिया गया है। नियम 12 आयु निर्धारण में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित है। उसी को यहाँ पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

" 12. किशोर की जमानत - (1) जब किसी जमानती या गैर-जमानती अपराध के आरोपी व्यक्ति और जाहिर तौर पर एक किशोर को गिरफ्तार किया जाता है या हिरासत में लिया जाता है या बोर्ड के सामने पेश किया जाता है या लाया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को, इसमें किसी भी बात के बावजूद, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) या उस समय लागू किसी भी अन्य कानून में, ज़मानत के साथ या उसके बिना जमानत पर रिहा किया जा सकता है, लेकिन अगर यह मानने के लिए उचित आधार दिखाई देते हैं कि रिहाई से उसे किसी ज्ञात अपराधी के साथ मिलाने या उसे नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में डालने के लिए या उसकी रिहाई से न्याय के उद्देश्य विफल हो जाएंगे की संभावना है, तो उसे रिहा नहीं किया जाएगा।

(2) जब गिरफ्तार किए गए ऐसे व्यक्ति को अधिकारी द्वारा उप-धारा (1) के तहत जमानत पर रिहा नहीं किया जाता है पुलिस स्टेशन का प्रभारी , ऐसा अधिकारी उसे निर्धारित तरीके से केवल एक अवलोकन गृह में रखवाएगा जब तक कि उसे बोर्ड के सामने नहीं लाया जा सके।

(3) जब ऐसे व्यक्ति को बोर्ड द्वारा उप-धारा (1) के तहत जमानत पर रिहा नहीं किया जाता है, तो उसे जेल में डालने के बजाय , जांच के लंबित रहने के दौरान ऐसी अवधि के लिए एक अवलोकन गृह या सुरक्षित स्थान पर भेजने का आदेश दिया जाएगा। उसके संबंध में जैसा कि आदेश में निर्दिष्ट किया जा सकता है।"

6. धारा 7ए का खंड 1 अदालत को जांच करने और आरोपी व्यक्ति की उम्र निर्धारित करने के लिए बाध्य करता है जब भी उसके सामने किशोर होने का दावा उठाया जाता है। न्यायालय ने धारा 7ए के तहत जो विचार किया , उसे उक्त अधिनियम के तहत परिभाषित नहीं किया गया है। हालाँकि, धारा 2 में कहा गया है कि जिन शब्दों और अभिव्यक्तियों को परिभाषित किया गया है उनका उपयोग अधिनियम में किया गया है लेकिन उसमें परिभाषित नहीं किया गया है और आपराधिक संहिता में परिभाषित किया गया है।

प्रक्रिया का वही अर्थ होगा जो कोड में दिया गया है। इस प्रकार, न्यायालय की परिभाषा के प्रयोजनों के लिए किसी को धारा 7ए के तहत परिकल्पित अभिव्यक्ति न्यायालय की परिभाषा का पता लगाने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता पर निर्भर रहना होगा । दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 6 के अंतर्गत अध्याय 2 आपराधिक न्यायालयों और कार्यालयों के गठन से संबंधित है। धारा 6 इस प्रकार है:-

"6. आपराधिक न्यायालयों की श्रेणियां। उच्च न्यायालयों और इस संहिता के अलावा किसी भी कानून के तहत गठित न्यायालयों के अलावा, प्रत्येक राज्य में आपराधिक न्यायालयों की निम्नलिखित श्रेणियां होंगी, अर्थात्:-

(i) सत्र न्यायालय;

(ii) प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट और, किसी भी महानगरीय क्षेत्र में, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट;

(iii) द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट; और

(iv) कार्यकारी मजिस्ट्रेट।"

7. 7ए के प्रयोजनों के लिए न्यायालय आपराधिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले न्यायालय का कोई भी वर्ग/श्रेणी हो सकता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उच्च न्यायालय भी शामिल है। इस प्रकार, किशोरता का प्रश्न सत्र न्यायालय, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट और आपराधिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय सहित कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा तय किया जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय भी किशोरता के प्रश्न पर निर्णय कर सकता है, लेकिन आपराधिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए। दंड प्रक्रिया संहिता का अध्याय 2 केवल आपराधिक न्यायालयों के गठन से संबंधित है। मेरी विनम्र राय में याचिकाकर्ता को धारा 7ए के प्रयोजनों के लिए धारा 6 के तहत परिभाषित किसी भी वर्ग या श्रेणी के आपराधिक न्यायालय से संपर्क करना चाहिए था , न कि रिट न्यायालय से। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 2009(3)RAJ 414: 2009(2) RCR (आपराधिक) 878, जिसका शीर्षक **हरि राम बनाम राजस्थान राज्य और अन्य है**, के निर्णयों पर निर्भरता की है। इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होता है। आगे यह देखा गया है कि किसी आरोपी व्यक्ति की उम्र का निर्धारण न्यायालय या बोर्ड द्वारा साक्ष्य मांगकर किया जा सकता है। प्रासंगिक टिप्पणियाँ पैरा 34 में निहित हैं, जो इस प्रकार हैं:-

"34. धारा 49 की उप-धारा (1) सक्षम प्राधिकारी को उसके सामने लाए गए व्यक्ति की उम्र के बारे में उचित जांच करने और उक्त उद्देश्य के लिए ऐसे साक्ष्य लेने की शक्ति प्रदान करती है जो आवश्यक हो सकते हैं (लेकिन शपथ पत्र नहीं)) और यह निष्कर्ष दर्ज करेगा कि वह व्यक्ति किशोर या बच्चा है या नहीं, उसकी उम्र यथासंभव बताते हुए। उप-धारा (2) भी उतना ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रदान करता है कि सक्षम प्राधिकारी का कोई भी आदेश ऐसा नहीं करेगा। केवल किसी भी बाद के सबूत के आधार पर अमान्य माना जाएगा कि वह व्यक्ति, जिसके संबंध में आदेश दिया गया है, किशोर या बच्चा नहीं है, और सक्षम प्राधिकारी द्वारा दर्ज की गई उम्र को लाए गए व्यक्ति की उम्र माना जाएगा। इससे पहले, अधिनियम के प्रयोजन के लिए, कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे या किशोर की सही उम्र मानी जाएगी। नियम 12 का उप-नियम (3) इंगित करता है कि न्यायालय या बोर्ड द्वारा उम्र निर्धारण की जांच , साक्ष्य मांगकर, निम्न से प्राप्त किया जाना है: (i) समकक्ष प्रमाणपत्रों का

मैट्रिकुलेशन, यदि उपलब्ध हो और उसके अभाव में;

(ii) उस स्कूल से जन्मतिथि प्रमाण पत्र (प्ले स्कूल के अलावा) जिसमें पहली बार भाग लिया था; और उसके अभाव में ;

(iii) किसी निगम या नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र।"

8. इस प्रकार, यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता की आयु मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित है और राज्य को याचिकाकर्ता की आयु निर्धारित करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। धारा 7ए स्पष्ट रूप से जांच कराने का प्रावधान करती है, नियम 12(3) के तहत स्थिति भी ऐसी ही है, जो कोर्ट या बोर्ड को मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाण पत्र, जन्मतिथि प्रमाण पत्र, स्कूल से जन्म प्रमाण पत्र और ऐसे अन्य साक्ष्य प्राप्त करके साक्ष्य मांगकर जांच करने का कर्तव्य देती है। धारा 7ए स्पष्ट रूप से मामले से निपटने वाले न्यायालय को साक्ष्य लेकर जांच करने का अधिकार देती है। इसी प्रकार, नियम 12 उप-नियम 1 भी नियम 19 में निर्दिष्ट न्यायालय या बोर्ड या समिति को सबूत लेकर कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर की उम्र निर्धारित करने का अधिकार देता है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत राज्य अपराध के समय किशोर होने का दावा करने वाले आरोपी की उम्र निर्धारित कर सके। इस प्रकार, याचिका द्वारा मांगा गया परमादेश गलत है। राज्य या उसकी किसी भी एजेंसी के पास किशोर की उम्र निर्धारित करने का कोई अधिकार या क्षेत्राधिकार नहीं है। किसी भी स्तर पर मामले से निपटने वाला आपराधिक न्यायालय या धारा 4 के तहत गठित बोर्ड या अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के नियम 19 के तहत गठित समिति ही किशोर होने का दावा करने वाले आरोपी की उम्र निर्धारित करने में सक्षम है।

उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यह याचिका याचिकाकर्ता को किशोर न्याय (बच्चों की सुरक्षा और देखभाल) अधिनियम, 2000 और उसके तहत गठित नियमों के नियम 12(1) के साथ पठित धारा 7ए के तहत निर्धारित किसी भी मामले में संपर्क करने की स्वतंत्रता के साथ खारिज कर रही है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

उदित अग्रवाल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

करनाल, हरियाणा